फैक्सीकृत

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमिसंरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 1121 /12–1,दिनांक, कालसी, 31-10-2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : **मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या–210/2013 के अन्तर्गत जनपद–देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नवनिर्माण हेतु 1.61 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण (Online Proposal No-FP/UK/ROAD/126434/2021)**

सन्दर्भ : आपके कार्यालय का आर0नं0–4686/12–1, दिनांक 17.10.2025 एवं प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–754/12–1, दिनांक 06.10.2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/126434/2021 में प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि **वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023** में निहित प्राविधान के बिन्दु संख्या–13 **Creation of Compensatory Afforestation** में उल्लेख किया गया है कि

"Provided that in case the non-forest land or portion thereof provided by the user agency is not fit for raising compensatory afforestation of a specified density, then additional compensatory afforestation shall be raised on a degraded notified or unclassed forest land under the management control of the Forest Department which is twice in size of such shortfall in the given compensatory afforestation land and the user agency shall also bear the additional cost on such account" जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन संरक्षण एवं संवर्द्धन अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023 के प्राविधान अनुसार यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि या भूमि का कुछ हिस्सा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो तदोपरान्त अनुपयुक्त क्षेत्र का दो गुना क्षेत्र आरक्षित अवनत भूमि में चयन किया जायेगा।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए पूर्व में चयनित भूमि के स्थान पर वर्तमान में सिविल भूमि ही चयनित की गयी है। चयनित भूमि आरक्षित अवनत वन भूमि न होने के कारण उक्त के सापेक्ष दो गुनी भूमि लिये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः महोदय क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चयनित भूमि के अनुसार ही प्रस्ताव पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

प्रतिलिपि : प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

(प्रपत्र–43)

परियोजना का नामः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर–काण्डोई–मदर्सू मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.6100 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित होनी प्रस्तावित है। प्रत्यावर्तित होने वाली 1.610 हे0 वन भूमि के बदले दुगनी अवनत भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा ग्राम–गुठाडखत बौन्दूर तहसील चकराता जिला–देहरादून के खसरा सं0–2007 क्षेत्रफल–68.860 हे0 में से क्षे0 3.220 हे0 भूमि चयनित की गई है। जिसका वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक–20.07.2024 में संयुक्त निरीक्षण किया गया है। यह क्षेत्र रिखनाड़ रेंज चकराता, वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत आता है। चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पाया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड़ रेंज

उप–प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

जया लाल शर्मा
रा0उ0नि0 / थानाध्यक्ष
क्षेत्र लाखामण्डल
तह0 चकराता (दे0दून)